	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 11, बुधवार, *शाके* 1941–जनवरी 01, 2020 *Pausa 11, Wednesday, Saka 1941–January 01, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

आदेश

जयपुर, दिसम्बर 13, 2019

संख्या एफ 1/RTU/यूनियन बहाली/2007-पार्ट-7/34365 :-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ.1/आरटीयू/रिर्टन/2006-17/निरस्तीकरण/19/18931 दिनांक 16.7.2019 के द्वारा बिजली कर्मचारी संघ (इंटक) ओम आनन्द अपाटमेन्ट, 181 भूपालपुरा मैन रोड, उदयपुर जिसकी पंजीयन संख्या आरटीयू-43/79 थी, के द्वारा वर्ष 2017 का वार्षिक आय-व्यय विवरण निहित फार्म में निहित समय में प्रस्तुत नही किये जाने के कारण पंजीयन को निरस्त कर दिया गया था। संघ द्वारा दिनांक 16.9.2019 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनके द्वारा वर्ष 2017 की रिर्टन दिनांक 12.3.2019 को प्रस्तुत की गई थी।

इस क्रम में संघ के अध्यक्ष/महामंत्री को दिनांक 4.12.2019 को सुनवाई हेतु बुलाया गया। जांच उपरान्त संघ का कथन सही पाया गया। इस परिस्थिति में, मै पतंजलि भू, पंजीयक व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 एवम अतिरिक्त श्रम आयुक्त (आई.आर.) राजस्थान, जयपुर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ 1/आरटीयू/ रिर्टन/2006-2017 /निरस्तीकरण/ 19/ 18931 दिनांक 16.7.2019 में क्रम संख्या 160 पर सम्मलित पंजीयन संख्या आरटीयू-43/79 बिजली कर्मचारी संघ (इंटक) उदयपुर का नाम उक्त आदेश से विलोपित करने के निर्देश देता हूं।

पतंजलि भू ,
रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन
अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)
राजस्थान जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।